राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 452/2025

पूजा जांगिड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.02.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जवाहर अस्पताल, जैसलमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से एमडीएम चिकित्सालय जोधपुर किया गया तथा उक्त आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को आजदिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि आलोच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को शीघ्र कार्यमुक्त किया जावे।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन कर मनन किया।
4. हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य